पगड़ी (डिपोजिट) की शरई हैसियत

दुकान और मकान वग़ैरह को पगड़ी (डिपोज़िट) लेकर मुस्तक़िल तौर से किराए पर देने के मामले में फ़िक़्ह अकेडमी के दूसरे फ़िक़्ही सेमिनार में ग़ौर किया गया। यह सेमिनार 8-11 दिसम्बर 1989 ई0 (8-11 जमादिल अव्वल 1410 हिजरी) को दिल्ली में आयोजित हुआ। निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनीः

1- मकान या दुकान का मालिक ज़मानत की रक़म या डिपोज़िट के नाम से किरायेदार से जो रक़म पेशगी (अग्रिम रूप में) वसूल करता है उस को वैसे ही सुरक्षित रखना बेहतर है। अगर मालिक मकान इस को ख़र्च कर दे तो उसे इस बात का ज़मानत दार होना चाहिए कि किरायेदारी ख़त्म होने पर वह तुरन्त उस रक़म को वापस कर दे।

2- अगर कोई मकान या दुकान किराये पर दी जाए और मालिक मकान किराए के साथ साथ पगड़ी के नाम पर नक़द रक़म भी किरायेदार से वसूल करे तो इस रक़म को इस बात का बदल समझा जाएगा कि मालिक मकान ने किराएदार को स्थायी रूप से उस का अधिकार दे दिया है और भविष्य में मकान या दुकान ख़ाली कराने का हक़ त्याग दिया है। इस हक़ का बदल होने के आधार पर पगड़ी की रक़म वसूल करना जायज़ होगा। भविष्य में अगर मालिक मकान किरायेदार से जगह ख़ाली कराना चाहे तो किरायेदार को इस का हक़ होगा कि वह मकान ख़ाली करने के बदले मालिक मकान से उतनी रक़म वसूल करे जिस पर दोनों पक्ष राज़ी हों। इसी तरह किराएदार किसी दूसरे आदमी से आपस की रज़ामन्दी से तय की गयी रक़म वसूल करके दुकान उसके हवाले कर सकता है और अपने हक़ को बेच सकता है।

3-मालिक मकान ने पगड़ी लिए बग़ैर मकान किराये पर दिया और किराये की अवधि समझौते में निर्धारित नहीं की गयी तो इस स्थिति में मकान मालिक को हक़ होगा कि जब चाहे मकान ख़ाली करा ले लेकिन मकान मालिक को चाहिए कि मकान ख़ाली करने का नोटिस इतने समय पहले दे जो कि स्थानीय हालात के हिसाब से उचित हो, और दोनों पक्षों में से किसी को काई ख़ास नुक़सान न पहुंचता हो।

4- अगर मकान या दुकान पगड़ी लिए बिना किराये पर दी गयी हो तो मालिक मकान को उसे वापस करते समय किरायेदार पगड़ी नहीं मांग सकता। ऐसी स्थिति में पगड़ी तलब करना नाजायज़ है।

5- सेमिनार मुसलमानों से अपील करता है कि वह अपने मामलात में शरीअत का ख़ास ख़्याल रखें। शरीअत समझौते के समय समझौते से सम्बन्धित सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से तय कर लेने पर ज़ोर देती है। यह सेमिनार किरायेदारी से संबंधित मामलों में ख़ास तौर से यह सिफ़ारिश करता है कि किरायेदारी का मामला तय करते समय अवधि निर्धारित कर ली जाए। अगर मालिक मकान उसके बदले मकान ख़ाली करने के हक़ को त्यागना चाहता है तो दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से इसे तय करलें।

☆☆☆